न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्रीमती कुसुमलता चौंहान , आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 19/2022

प्रार्थीया	बनाम	अप्रार्थीगण
मेतीदेवी पत्नि पीरारामजी जाति मेघवाल निवासी रूपावटी खुर्द तहसील रानीवाड़ा जिला जालोर		1. नवा पुत्र खूमा कौम कोली साकिन रूपावाटी खुर्द तहसील रानीवाड़ा जिला जालोर 2. भूमिधारी तहसीलदार जिला जालोर

अन्तर्गत धारा 111,128 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी अधिवक्ता श्री जबराराम पुरोहित।
2. अप्रार्थी संख्या 2 तहसीलदार रानीवाडा।

–: निर्णय :–

दिनांक – 24.11.2022

1. प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व अंतर्गत धारा 111,128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसके तथ्य संक्षेप में प्रार्थना पत्र के अनुसार इस प्रकार है कि सरहद मौजा रूपावटी खुर्द तहसील रानीवाड़ा में प्रार्थीया की खातेदारी आराजी नवीन खसरा नम्बर 237 रकबा 0.38 हे.,खसरा नम्बर 382/236 रकबा 1.874हे.आई हुई हैं। उक्त आराजी की खातेदारी प्रार्थीया के नाम दर्ज हैं। प्रार्थीया की उक्त आराजी नवीन खसरा नम्बर 382/236 के पश्चिम में अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी आराजी नवीन खसरा नम्बर 381/236 रकबा 1.126 हे. आई हुई हैं। उक्त आराजी की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज हैं। प्रार्थीया की उक्त खातेदारी आराजी नवीन खसरा नम्बर 382/236 रकबा 1.874 हे. व अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी आराजी नवीन खसरा नम्बर 381/236 की माठ को लेकर विवाद हैं। इसलिए प्रार्थीया ने अपनी आराजी की पैमाईश हेतु श्रीमान तहसीलदार साहब रानीवाड़ा से दिनांक 21.03.2022 को आदेश पारित करने हेतु आवेदन किया था। जिस पर श्रीमान तहसीलदार रानीवाड़ा द्वारा अपने आदेश क्रमांक 79 दिनांक 21.03.2022 के जरिये प्रार्थीया की आराजी की पैमाईश करने के आदेश की पालना में हल्का पटवारी धामसीन व भू अभिलेख निरीक्षक बडगांव दिनांक 05.05.2022 को पैमाईश हेतु मौके पर आये परन्तु अप्रार्थी द्वारा विवाद करने के कारण पैमाईश नहीं की जा सकी। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया व अप्रार्थी की आराजी मौजा रूपावटी खुर्द के नवीन खसरा नम्बर 382/236 रकबा 1.874 हे. व अप्रार्थी संख्या 1 की आराजी खसरा नम्बर 381/236 रकबा 1.126हे.आराजी की पैमाईश कर उक्त आराजी के बीच की माठ कायम कर स्थाई सीमा चिन्ह पत्थर गड्ढी करवाया जाना न्याय हित में आवश्यक हैं।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर श्रीमानजी से निवेदन हैं कि प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी आराजी सरहद मौजा रूपावटी खुर्द तहसील रानीवाड़ा के नवीन खसरा नम्बर 382/236 रकबा 1.874हे. व खसरा नम्बर 381/236 रकबा 1.126हे. की पैमाईश करवाने हेतु राजस्व कर्मचारियों की टीम गठित कर उक्त आराजी की पैमाईश करवा कर उक्त खसरा नम्बर 382/236 व 381/236 के बीच की माठ कायम कर माठ कर स्थाई सीमा चिन्ह पत्थर गड्ढी करने का आदेश फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2023.02.16 14:01:38 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से बाद नोटिस तामिल कोई उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 2 राजपेरोकार द्वारा जवाब दिया गया।

3. अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा जवाब पेश किया गया जिनके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा रूपावटी खुर्द के खसरा नम्बर 237, 382/236 की खातेदारी प्रार्थीया के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हैं। खसरा नम्बर 382/236, 381/236 की माठ है तथा 381/236 अप्रार्थी की खातेदारी है प्रार्थीया द्वारा खेत खसरा नम्बर 382/236 की पैमाईश करने पर पडौसी खातेदार द्वारा विवाद उत्पन्न किया जिसका हल्का पटवारी की फर्द में उल्लेख है जिससे जाहिर होता है कि मौके पर माठ कायमी में विवाद है। अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र व हल्का पटवारी की मौका फर्द अनुसार मौजा रूपावटी खुर्द के खसरा नम्बर 382/236 की पत्थरगढ़ी की जाती हैं तो भूमिधारी/तहसीलदार को कोई आपत्ति नहीं है

4. पत्रावली मे पेश प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेज का अवलोकन करने व प्रार्थीया के विद्वान अधिवक्ता व अप्रार्थी संख्या 2 के बहस के तथ्यों पर मनन करने पर पाया कि प्रार्थीया द्वारा दिनांक 05.05.2022 को तहसीलदार रानीवाडा से सीमांकन करवाने पर अप्रार्थी नवा पुत्र खुमा जाति कोली वगैरा द्वारा विवाद करने पर सीमाकंन नहीं किया गया। तथा राजपेरोकार ने बहस में सीमाविवाद होना स्वीकार किया। व प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द में भी मौके पर सीमाविवाद होना प्रतित होता है। ऐसी ऐसी स्थिति में प्रार्थीया मौके पर सीमा विवाद के समाधान हेतु पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है। अतः मौजा रूपावटी खूर्द के खसरा नम्बर 382/236 व 381/236 के मध्य की माठ वादग्रस्त होने से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतित होता है।

—: आदेश :—

5. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रानीवाडा को आदेश दिया जाता है कि सरहद मौजा रूपावटी खूर्द पटवार हल्का धामसीन के खसरा नम्बर 382/236 रकबा 1.8740 व 381/236 रकबा 1.1260 हेक्टेयर आराजी के मध्य माठ की पैमाईश कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थर गड्डी हेतु एक कमेटी का गठन करवा कर 7 दिवस में पालना प्रस्तुत करें। एवं आप द्वारा गठित टीम को निर्देशित करें कि दोनों पक्षों को सूचित कर उनके रूबरू मोमियों नक्शा ट्रेस सहित लट्ठा नक्शा से पैमाईश करें, तथा सीमांकन कर पत्थर गड्डी करवायें। इस आदेश की पालना हेतु आदेश की प्रति तहसीलदार रानीवाडा को भेजी जावें। पक्षकारान अपना—अपना खर्चा वहन करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(कुसुमलता चौंहान)
उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा जिला—जालोर

निर्णय आज दिनांक 24.11.2022 को मेरे द्वारा हस्ताक्षरित सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2023.03.16 14:40:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाड़ा जिला—जालोर